रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231407
CG-DL-E-26112021-231407

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4517] नई दिल्ली शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943
No. 4517] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

का.आ. 4886(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 कहा गया है) द्वारा तटीय क्षेत्रों को कतिपय तटीय विनियमन क्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीआरजेड कहा गया है) के रूप में घोषित किया था और उक्त जोन में उद्योगों की स्थापना और विस्तार, प्रचालन तथा प्रसंस्करण पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से सीआरजेड अधिसूचना में उन उपबंधों को समावेशित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में पहले ही उपलब्ध हैं, लेकिन बांध/जलमार्ग की खजानी भूमि में उच्च ज्वार रेखा (एचटीएल) के सीमांकन को निर्बंधित करने, सीआरजेड क्षेत्रों में परंपरागत समुदायों द्वारा मृत सीप के एकत्रण और सुन्दरवन जैवमंडल रिजर्व में एचटीएल और सीआरजेड प्रवर्गों के रेखांकनों के संबंध में सीआरजेड अधिसूचना, 2019 में छूट गए हैं;

और सुन्दरवन जैवमंडल रिजर्व में बांध/जलमार्ग में खजानी भूमि पर उच्च ज्वार रेखा के सीमांकन तथा एचटीएल और सीआरजेड प्रवर्गों के रेखाकंन से संबंधित उपबंध अधिसूचना सं. का.आ. 1422(अ), तारीख 1 मई, 2020 के संशोधन द्वारा सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में सम्मिलित किए गए थे, तथापि, ये उपबंध सीआरजेड अधिसूचना, 2019 में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, चूंकि ये तारीख 18 जनवरी, 2019 को अर्थात् उपरोक्त तारीख 1 मई, 2020 के पहले अधिसूचित किए गए थे;

और सीआरजेड क्षेत्रों में परंपरागत समुदायों द्वारा मृत सीप के एकत्रण से संबंधित उपबंध अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2019 के माध्यम से सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में सम्मिलित किए गए थे, तथापि, ये सा.का.नि. सं. 1227(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2017 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन में गलती से छूट गए थे और इस प्रकार इन्हें सीआरजेड अधिसूचना, 2019 में सम्मिलित नहीं किया जा सका था ;

और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण(एनसीजेडएमए) ने तारीख 23 मार्च, 2021 को आयोजित अपनी 42वीं बैठक में यह सिफारिश की है कि उपरोक्त उपबंध जो सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में पहले से ही उपलब्ध थे और जो सीआरजेड अधिसूचना, 2019 में अनवधानता और गलती से छूट गए हैं, सीआरजेड अधिसूचना, 2019 में सम्मिलित किए जाएंगे;

और तथ्यों के मद्देनजर वे उपबंध जो सीआरजेड अधिसूचना, 2011 द्वारा पहले से ही लागू हों, सीआरजेड अधिसूचना, 2019 में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं और अधिसूचना के प्रस्तावित संशोधन द्वारा कोई नए निर्बंधन या प्रतिषेध अधिरोपित नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए पर्यावरण(संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से लोकहित में अभिमुक्ति दी जाती है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में,--

(i) पैरा 1 के खंड (i) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.—**इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, --

(क) एचटीएल से भूमि पर ऐसी रेखा अभिप्रेत है जहां तक उत्पन्न होने वाले ज्वार के दौरान उच्चतम जलरेखा पहुंचती है, जैसा कि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केन्द्र (एनसीएससीएम) द्वारा सीमांकित और विभिन्न तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है;

(ख) उस दशा में, जहां का.आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से पूर्व संनिर्मित बांध या जलमार्ग विद्यमान है, एचटीएल, बांध या जलमार्ग के समानांतर लंबी रेखा तक निर्बंधित होगी, तथापि ऐसी दशा में बांध या जलमार्ग से परे खारे पानी के प्रवेश के कारण उद्भूत कच्छ वनस्पति के अधीन क्षेत्र, बांध या जलमार्ग के परे क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान दिए बिना सीआरजेड-आईए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और कच्छ वनस्पति के अधीन ऐसा क्षेत्र संरक्षित होगा और किन्हीं विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए विपथित नहीं किया जाएगा ।"

2. पैरा 2 के उपपैरा 2.1.1 के खंड (क) के उपखंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(v) सुन्दरवन जैव मंडल रिजर्व की दशा के सिवाय जहां इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुरूप सीआरजेड वर्गीकरण और एचटीएल रेखांकन और सीआरजेड सीमांकन किया जाएगा, जैव मंडल रिजर्वों सहित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री पार्क, अभ्यारण्य, रिजर्व वन, वन्यजीव पर्यावास और अन्य संरक्षित क्षेत्र:

टिप्पण:- सुन्दरवन जैवमंडल रिजर्व के भीतर सीवीसीए रेखांकन, राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एकीकृत प्रबंधन योजना के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा;"

3. पैरा 5 के उपपैरा 5.1.2 में उपखंड (xviii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(xix) कुक्कुट और पशु चारे के लिए परंपरागत समुदायों द्वारा मृत सीप के एकत्रण के लिए पूर्व सीआरजेड अनुमति अपेक्षित नहीं होगी ।"

[फा.सं. 19-112/2013-आईए III(पीटी)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.का.नि. सं. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

S.O. 4886(E).—WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone Notification, 2019), the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone (CRZ) and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

AND WHEREAS, the Central Government have received representations from the State Governments for inclusion of those provisions in CRZ Notification 2019, which were already available in the CRZ Notification, 2011 but have been missed out in the CRZ Notification 2019, with regard to restricting demarcation of High Tide Line (HTL) in Khazan Land to the bund / sluice gate, collection of dead shells by traditional communities in CRZ areas and delineation of HTL and CRZ categories in the Sundarbans Biosphere Reserve;

AND WHEREAS, the provisions related to demarcation of High Tide Line (HTL) in Khazan Land to the bund / sluice gate and delineation of HTL and CRZ categories in the Sundarbans Biosphere Reserve were incorporated in the CRZ Notification 2011, through amendment *vide* notification number S.O. 1422 (E), dated the 1st May 2020, however, these provisions could not be incorporated in CRZ Notification 2019, as it was notified on 18th January, 2019 i.e. before the above-said amendment dated the 1st May 2020;

AND WHEREAS, the provisions related to collection of dead shells by traditional communities in CRZ areas was included in the CRZ Notification 2011 through notification number S.O. 19(E), dated the 6th January 2019, however, the same was erroneously left out in the subsequent amendment *vide* number G.S.R. 1227(E), dated the 6th October 2017, and as such, the same could not be incorporated in the CRZ Notification 2019;

AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) in its 42nd meeting held on the 23rd March, 2021 has recommended that the above-said provisions which were already available in the CRZ Notification, 2011 and had been inadvertently or erroneously missed out in the CRZ Notification, 2019, shall be included in the CRZ Notification, 2019;

AND WHEREAS, in view of the fact that the provisions already applicable *vide* CRZ Notification, 2011, are proposed to be included in the CRZ Notification, 2019, and as there is no fresh restriction or prohibition being imposed *vide* proposed amendment notification, therefore, the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 is hereby dispensed with in public interest;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2019, namely: -

1. In the said notification, -

(i) in paragraph 1, in clause (i), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely, -

"Explanation. - For the purposes of this notification,-

(a) the HTL means the line on the land upto which the highest water line reaches during the spring tide as demarcated by the National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM) in accordance with the laid down procedures and made available to various coastal States and Union territories;

(b) in case there exists a bund or a sluice gate constructed prior to the date of notification issued vide S.O. 114(E) dated 19th February, 1991, the HTL shall be restricted up to the line long along the bund or the sluice gate, however, in such a case, area under mangroves arising due to saline water ingress beyond the bund or sluice gate shall be classified as CRZ-IA irrespective of the extent of the area beyond the bund or sluice gate and such areas under mangroves shall be protected and shall not be diverted for any developmental activities."

2. In paragraph 2, in sub-para 2.1.1, in clause (a), in sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted after the words '*Biosphere Reserves'*, namely: -

"(v) ..except in the case of the Sundarbans Biosphere Reserve, wherein, the categorization of CRZ and delineation of the HTL and CRZ boundaries shall be done in consonance with the provisions of this Notification".

Note: *The CVCA delineated within the Sundarbans Biosphere Reserve shall be managed through the Integrated Management Plan prepared by the State Government and approved by the Central Government."*

3. In paragraph 5, in sub-para 5.1.2, after sub-clause (xviii), the following sub-clause shall be inserted, namely: -

"(xix) Collection of dead shells by traditional communities for poultry and animal feed supplements and shall not require prior CRZ clearance;"

[F.No.19-112/2013 -IA III (pt)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.26 22:26:01 +05'30'